न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:—193/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00019)

01. रामगोपाल अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बनारसीलाल, छापडिया, जाति महाजन निवासी 121, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर।
02. महेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बनारसीलाल, छापड़िया, जाति महाजन निवासी 121, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर।
03. हर्ष कुमार,
04. अरूण कुमार,
05. प्रदीप कुमार,
06. अशोक कुमार पुत्रान स्व. श्री राजेन्द्र सिंह, जाति जाट, निवासी होडल तहसील होटल, जिला पलवल, (हरियाणा)
07. श्रीमती राकेश पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र सिंह धर्मपत्नी श्री आर.एस.नेहरा, जाति जाट, निवासी मकान नम्बर 539, स्कीम नम्बर—2, अलवर तहसील व जिला अलवर।
08. श्रीमती राजुल पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र सिंह धर्मपत्नी श्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी मकान नम्बर 1773, सैक्टर—7ई, फरीदाबाद (हरियाणा)
09. श्रीमती राजेश पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र सिंह धर्मपत्नी श्री रघुवीर सिंह, जाति जाट निवासी जटोली, तहसील हसनपुर, जिला पलवल(हरियाणा)
10. श्रीमती राजश्री पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र सिंह धर्मपत्नी श्री सहदेव सिंह फौजदार जाति जाट निवासी मकान नम्बर—32 ए गुरू जुम्बेश्वर नगर क्वीन्स रोड़ जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान सरकार जयपुर।
5. निदेश्क, राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर, जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 26.02.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिल कलक्टर (प्रथम) जयपुर के आदेश दिनांक 26.05.2015 (प्रकरण संख्या 296/2012) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम किशनबाग, तहसील जयपुर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 50 रकबा 24 बीघा 12

के पिता स्व. श्री बनारसीलाल पुत्र मुरलीधर छापडिया हिस्सा 1/2 तथा अपीलार्थी संख्या 3 लगायत 10 के पिता स्व. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह हिस्सा 1/2 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है और राजस्व भू अभिलेखों में उक्त व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उन्होने कथन किया है कि उपरोक्त विर्णित भूमि पर खातेदारी स्व. श्री बनारसीलाल व स्व. श्री राजेन्द्र सिंह काबिज रहकर काश्त करते रहे, खसरा गिरदावरियों में उक्त भूमि पर खातेदारों द्वारा काश्त किया जाना अंकित है, ना तो किसी खातेदार ने उक्त भूमि को अबेन्डोन किया और ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्य किसी प्रावधान की वजह से भूमि विवादग्रस्त पर खातेदारों के अधिकार समाप्त हुये, उपरोक्त वर्णित खातेदार कृषकगण को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का मौका दिये बिना राज्य सरकार की ओर से यह जाहिर किया गया कि किया उनके द्वारा खातेदारों के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई और खातेदारों पर तामील हेतु नोटिस राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कराये गये जिसके पश्चात् उक्त पत्रावली संख्या 363/1964 में दिनांक 19.04.1966 को आदेश पारित किये गये, परन्तु वास्तव में आज तक ना तो कोई ऐसी पत्रावली कभी बनी और ना हीं ऐसी किसी पत्रावली पर आज दिनांक तक कोई आदेश पारित किया गया परन्तु फिर भी धारा 61 के अन्तर्गत कोई आदेश दिनांक 19.04.1966 को पारित किया जाना मानते हुये तहसीलदार जयपुर ने दिनांक 23.10.67 को नामान्तरकरण संख्या 15 तस्दीक कर उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त को उक्त खातेदारों के नाम से निरस्त कर सिवाय चक अंकित कर दिया और उसके अनुसार राजस्व भू अभिलेखों में इन्द्राजात कर दिये गये है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वास्तव में स्व. श्री बनारसीलाल व स्व. श्री राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध दिनांक 19.04.1966 को तथाकथित कोई आदेश कभी पारित नही किया गया, ना ही ऐसे किसी आदेश का कोई अस्तित्व है परन्तु फिर भी दिनांक 19.04.1966 को तथाकथित आदेश के आधार ना तहसीलदार जयपुर ने दिनांक 23.10.1967 को नामान्तरकरण संख्या 15 तस्दीक कर उपरोक्त आराजी के राजस्व भू अभिलेखों से स्व. श्री बनारसीलाल व स्व. श्री राजेन्द्र सिंह के नाम लोपित कर उक्त भूमि को सिवायचक अंकित कर दिया गया है, जो इन्द्राजात पूर्णतः अवैध व प्रभावशून्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि स्व. श्री बनारसीलाल व स्व. श्री राजेन्द्र सिंह ने दिनांक 19.04.1966 के तथाकथित आदेश की उक्त पत्रावली को तलाश किये जाने की काफी कोशिश की और उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु ना तो किसी पत्रावली की कोई जानकारी दी गई और ना ही दिनांक 19.04.1966 के उक्त आदेश की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश

निरस्तनीय है, तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण के हक पूर्वाअधिकारी स्व. श्री बनारसीलाल छापड़िया व श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी उपरोक्त वर्णित भूमि के खातेदार कृषक थे, उनके विरूद्ध तहसीलदार जयपुर द्वारा तथाकथित पत्रावली संख्या 363/1964 में दिनांक 19.04.1966 को कोई आदेश पारित किया जाना मानते हुये जो नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 23.10.1967 को तस्दीक किया गया था उसे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने दिनांक 30.01.2003 के अपने निर्णय द्वारा ही अंतिम रूप से निरस्त फरमा दिया और चूँकि उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा कोई अपील इत्यादि प्रस्तुत नही की गई और वह निर्णय अंतिम हो गया तब ऐसी परिस्थितियों मे नामान्तरकरण संख्या 15 का तो अस्तित्व ही पूर्णतः समाप्त हो गया है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 23.10.1967 को बहाल किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निजी पक्षकार और राज्य सरकार तथा राज्य सरकार के सभी विभाग समन्तर स्तर आते है, जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति संदेह से बाहर स्पष्ट थी कि उक्त भूमि के खातेदार कृषक अपीलार्थीगण हक पूर्वाधिकारी श्री बनारसीलाल छापडिया व राजेनद्र सिंह चौधरी थे और जिस नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 23.10.1967 के आधार पर भू राजस्व भू अभिलेखों से उक्त खातेदर कृषकगण का नाम लोपित कर उक्त भूमि को राजकीय भूमि अंकित किया गया हैं, उस नामान्तरकरण को राजस्व मण्डल राजस्थान ने दिनांक 30.01.2003 के अपने निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया है तब अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे राजस्व भू अभिलेखों में हो रहे पूर्व इन्द्राजात को बहाल रखे जाने का आदेश पारित करती और राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्तुत प्रकरण में तो न्यायालय ने दिनांक 29.11.2005 के अपने निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय को यह स्पष्ट निर्देश भी दिये थे परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसके समक्ष प्रकरण के नामान्तरकरण संख्या 15 के विरूद्ध अपील मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित फरमा दिया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जब अपीलार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों ने भूमि विवादग्रस्त पर अपने अधिकारों का कभी कोई परित्याग नही किया और ना ही कभी भूमि विवादग्रस्त पर काश्त करना छोड़ा तब ऐसी स्थिति में गत खातेदारान के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 60 के अन्तर्गत कोई आदेश पारित नही किया जा सकता और ना

राजस्व मण्डल राजस्थान ने विस्तृत विचार विमर्श कर दिनांक 30.01.2003 को आदेश पारित किया है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है व वस्तुतः राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा दिनांक 30.01.2003 को तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2005 को पारित आदेश को भी निरस्त किये जाने के सामान्तर है जिसका अधीनस्थ न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण नये सिरे से खातेदारी अधिकर प्राप्त करने का नही है बल्कि यह स्थिति संदेह से बाहर स्पष्ट है कि खातेदार कृषकगण को उनकी कृषि जोत से बिना किसी आधार एवं औचित्य के वंचित करनी की कार्यवाही की गई है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य संदेह से बाहर स्पष्ट होने के बावजदू भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय के अनुरूप से न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट करना कि खातेदारान ने अपनी कृषि जोत का परित्याग किया है, यह साबित करने का भार मात्र राजस्थान राज्य सरकार का था परन्तु राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई कार्यवाही नही की गई, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी ये तथ्य स्पष्ट होने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय का यह अंकित करना कि परिस्थितिजन्य एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालना अपेक्षित होता है, पूर्णतः आधारहीन है जब तक कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत कृषि जोत का परित्याग कर दिया जाना संदेह से बाहर स्पष्ट हो जाता तब तक किसी खातेदार को उसकी कृषि जोत से वंचित नही किया जा सकता परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि तहसीलदार जयपुर का मूल आदेश दिनांक 19.04.1966 आज भी प्रभावी है, विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नही है, भूमि अबेटमेन्ट की कार्यवाही होकर नामान्तरकरण संख्या 15 से सिवायचक दर्ज हुई है और उसके पश्चात् राज्यादेशानुसार ऐसी समस्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण में समाहित हुई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया

दिनांक 26.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.05.2015 विधि सम्मत एवं न्यायोचित निर्णय है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कतई आवश्यकता ही नही है क्योंकि न्यायालय ने अपने निर्णय के ऑपरेटिव पार्ट में यह उल्लेखित किया कि ''प्रस्तुत प्रकरण में भूमि के एबेन्डमेन्ट किये जाने को गलत तो बताया है लेकिन यह नही कहा कि वास्तव में ऐसी कोई कार्यवाही ही नही हुई थी, ऐसी स्थिति में तहसीलदार ने नामान्तरकरण खोलने में क्या गलती की है, अपीलार्थी ने अवगत नही कराया और न ही इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई बहस की है''

''जहॉ तक एबेन्डमेन्ट कराने की कार्यवाही का प्रश्न है, अपीलार्थी ने यह भी स्पष्ट नही किया कि क्या उसे खातेदारी मिल गई थी, खातेदारी मिलने की पुष्टि में किसी प्रकार के राजस्व रिकार्ड या दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किये है, दूसरी ओर राजस्थान सरकार गजट नोटिफिकेशन निर्विवाद रूप से अस्तित्व में है, ऐसी स्थिति में परिस्थितिजन्य रूप से यह साबित है कि गजट नोटिफिकेशन में भूमि राजकीय दर्ज होने से पूर्व राजकीय स्तर से भूमि के राजकीय होने की, सभी साक्ष्यों से पुष्टि हो चुकी है।''

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 106 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा ग्राम किशनबाग, पटवार हल्का बस्सी सीतारामपुरा महकमा जंगलात विभाग के नाम दर्ज है और उक्त खसरा नम्बरान की भूमि वन विभाग के स्वामित्व की भूमि है, उक्त तथ्य की पुष्टि जमाबन्दी सम्वत् 2071 व 2074 से होती है, माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.12.96 में यह अभिनिर्धारित किया कि--राजकीय रिकार्ड में यदि कोई भूमि वन विभाग के नाम से दर्ज है, को इसमें किसी भी प्रकार से ना ही छेड़छाड़ की जा सकती है, ना ही इसकी प्रकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष दिनांक 12.05.2010 को जवाब प्रस्तुत किया उसमें भी उसके मद संख्या 2 में भी जयपुर विकास प्राधिकरण ने कथन किया कि खसरा नम्बर 106 मि. 17–08 बीघा भूमि महकमा जंगलात के नाम दर्ज है, इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा वन विभाग के नाम दर्ज है एवं वन विभाग के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि है, अपीलार्थी ने अपनी अपील के ज्ञापन में उल्लेखित आपत्तियों मे यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 26.05.2015 का निर्णय तथ्यों एवं कानून के विपरित तथा विवाद के वास्तविक मुददे को समझे बिना निर्णय पारित किया जो पूर्णतया अवैध होने की वजह निरस्तनीय।'', अपीलान्ट ने अपने अपील में यह कही वर्णित नही किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 किस प्रकार तथ्य एवं कानून के विपरित है, और किस प्रकार अवैध होने के कारण तथ्य एवं कानून के विपरित है और किस प्रकार अवैध होने के कारण निरस्तनीय है, मात्र लिख देना ही पर्याप्त

दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावलियों पर उपलब्ध समग्रीयों का अवलोकन कर ही निर्णय पारित किया था, अतः मौखिक बहस के मुख्य लिखित बिन्दू पेश कर निवेदन है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 पूर्णतया सही व विधि सम्मत है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कतई आवश्यकता नही है, के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील मय हर्जे–खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली संख्या 363/1964 में दिनांक 19.04.1966 की पालना नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 23.10.1967 को तस्दीक किया गया तथा पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि राजस्थान सरकार का गजट नोटिफिकेशन निर्विवाद रूप से अस्तित्व में है जिसके तहत उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में दर्ज हुई है, गजट नोटिफिकेशन में भूमि राजकीय दर्ज होने से पूर्व राजकीय स्तर से भूमि के राजकीय होने के सभी साक्ष्यों से पुष्टि हो चुकी है वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टरक प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2015 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2015 को यथवत् रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।